संपादन

सर्दी का मौसम मार्च महीना समाप्त होने के बाद भी लंबा ही चल रहा था और इस कारण महाराष्ट्र और देश के अधिकतम भागों में भारी वर्षा, तूफान और जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। इतना होने पर भी किसानों को तो नियमित रूप से अनिश्चितता का सामना करना ही पड़ता है, राजनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं के समक्ष परिवर्तित मौसम से होने वाली हानि को कम करने की बड़ी समस्या है। हम शीत ऋतु की अवधि में परिवर्तन नहीं कर सकते या ओलावृष्टि को रोक नहीं सकते किंतु हम मौसम की सही भविष्यवाणी करने का प्रयास और किसानों को पहले से इसकी सूचना देने का प्रयास कर सकते हैं। इससे किसानों को निर्णय लेने में बहुत सहायता मिलेगी कि वे क्या करें और क्या न करें और उनका जोखिम और हानियां कम हो सकती हैं।

इसका समाधान साधारण और सस्ता हो सकता है। मौसम की सही भविष्यवाणी करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता हैः– आंकड़े, इन्हें विश्वसनीय सूचना में बदलना और समय पर प्रत्येक किसान तक पहुंचाना। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में सेल फोन के टावर लगे हुए हैं और उनसे तुरंत संपर्क होता है। हमारा सुझाव है कि कुछ ऐसी छोटी डिवाइसिस इन टावरों के साथ स्थापित कर दी जाएं जो मौसम की जानकारी, जैसे नमी, तापमान, वायु दबाव, हवा का रूख आदि को इकट्ठा करके एक निश्चित समय में क्षेत्र के सेंट्रल सर्वर तक स्वतः पहुंचा देती हैं। इस नर्व सेंटर में कम समय में ही देशभर के लाखों स्थानों से सूचना प्राप्त हो जाएगी। इस सूचना को अंतरिक्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित सैटलाइटों से आंकड़ों सहित प्रसारित किया जा सकता है। किसी निश्चित क्षेत्र की सूचना को प्रत्येक किसान के सेल फोन में स्वतः ही भेजा जा सकता है जो इस पर निर्भर करेगा कि यह किसान किस क्षेत्र में रहता है और उसका सेल फोन किस टावर के साथ जुड़ा हुआ है।

इसी प्रकार से हम भूमि की जांच कर सकते हैं। अफ्रीका और अमरीका में वाणिज्यिक लाभ के लिए जांच की जा रही 'सोयल डॉक' की पद्धति अपनाई जा सकती है। प्रत्येक क्षेत्र के खेतों की स्थिति की सूचना लेकर किसानों की भूमि की जांच की जा सकती है ताकि प्रत्येक किसान को उसके प्रत्येक खेत/भूखंड की विश्लेषात्मक स्थिति का पता चल जाए। हम इस प्रकार के उपकरणों के लिए सहायता ले सकते हैं या इनका निर्माण अथवा इनकी खरीद की जा सकती है।

इन दोनों उपायों का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इनके लिए व्यापक ढांचा या नई पद्धति तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार व्यापक पद्धति बनाने के प्रति इच्छुक तो रहती है जो कठिन होती है और इसकी लागत भी अधिक आती है तथा ऐसी सेवा या पद्धति अंजाम तक पहुंचने से पहले ही असफल हो जाती है। किंतु तकनीकी से ऐसा हो सकता है, यह साधारण ढंग से सहायता करती है और पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराती है जिसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें केवल दृष्टि (विजन) और कटिबद्धता की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी पिछले पांच वर्षों से मीडिया और कई एकेडैमिक्स क्षेत्रों में आलोचना का शिकार हो रहे हैं। किसान होने के नाते हम लगातार किसानों की नजरअंदाजी का मुद्दा उठाते रहे हैं जो गलत नीतियों के कारण हो रहा है न कि किसी दुर्भावना या किसी की अवहेलना से। परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर कैसे हो रही हैं इसकी सत्यता का पता इस बात से पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री कई प्रतिनिधिमंडलों से मिले जो विभिन्न किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे या जिनका निजी हित था। क्या आप जानते हैं कि इनमें कितने वास्तविक किसान थे ? मेरा अनुमान है कि 1 प्रतिशत से भी कम, यद्यपि भारत के 50 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुडे हैं।

भारतीय किसान की स्थिति से संबंधित सर्वेक्षण के मुख्य बिन्दु

सीएसडीएस और भारतीय कृषक समाज द्वारा तैयार एक रिपोर्ट

सीएसडीएस ने आज भारतीय किसानों से संबंधित सर्वेक्षण के परिणाम जारी किये। यह सर्वेक्षण शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किये गए जिसका नेतृत्व भारत कृषक समाज के लिए सीएसडीएस के श्री संजय कुमार कर रहे थे। सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते हुए श्री कुमार ने कहा, 'यह सर्वेक्षण देशभर के 18 राज्यों के 137 जिलों में कराया गया था। कुल 5000 शोधकर्ताओं ने, जहाँ–जहाँ सम्भव था, हर घर में एक महिला और एक युवा से बात की। घरों से 11000 व्यक्तियों की राय लेने के बाद उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कि गयी थी।

मुख्य परिणामः

1. अधिकतर लोगों की राय में केवल धनि किसानों को सरकारी कल्याण योजनाओं और नीतियों का लाभ मिला है। केवल 10 प्रतिशत यह मानते हैं कि निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिला है।
2. लगभग 85 प्रतिशत किसानों ने मनरेगा का नाम सुना था। उनमें से 51 प्रतिशत ने ये कहा कि उनके घर को इस योजना के अंतर्गत काम नहीं मिला।
3. 70 प्रतिशत ने डायरेक्ट कैश ट्रान्सफर के बारे में नहीं सुना था। हालाँकि 34 प्रतिशत सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में डालने के पक्ष में थे। केवल 19 प्रतिशत मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट थे।
4. भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में केवल 27 प्रतिशत लोगों ने सुना था। इनमे से 57 प्रतिशत यह मानते थे कि ये कानून उनके लिए हानिकारक होगा।
5. 83 प्रतिशत ने एफडीआई के बारे में नहीं सुना था। सुनने वालों में से 51 प्रतिशत ये मानते थे कि कृषि में एफडीआई नहीं लाना चाहिए, पर 40 प्रतिशत भूमि विहीन किसान इसके पक्ष में थे।
6. 19 प्रतिशत किसानों ने किसान कॉल सेंटर के बारे में नहीं सुना था। सुनने वालों में से 70 प्रतिशत ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया था।
7. लगभग 62 प्रतिशत किसान एमएमपी के बारे में नहीं जानते थे। जानकारी रखने वालों में से 64 प्रतिशत सरकारी की तय कीमतों से संतुष्ट नहीं थे।
8. 74 प्रतिशत किसानों ने कृषि संबंधित कोई भी जानकारी कृषि विभाग से नहीं ली। लेने वालों में से केवल तीन प्रतिशत जानकारी नियमित रूप से लेते हैं।
9. लगभग 70 प्रतिशत किसानों का कहना था कि उनकी फसल पिछले तीन साल में कम से कम एक बार नष्ट हुई थी।
10. लगभग 15 प्रतिशत किसानों ने अपने आस–पास आत्महत्या कि कोई घटना के बारे में सुना है। 41 प्रतिशत ने इसकी वजह घरेलु कलेश बताया, जबकि 35 प्रतिशत इसके लिए ऋण संबंधी कारण मानते थे। 14 फीसदी ने इसके लिए फसलों का नाश को जिम्मेदार बताया।
11. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चिंता के तीन सबसे बड़े कारण बनकर उभरे।
12. प्रचिलित राय के विपरीत ऋण भुगतान किसानों के लिए चिंता का बड़ा विषय नहीं है।
13. 67 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि कृषि से आमदनी घर चलाने के लिए काफी नहीं थी। केवल 20 प्रतिशत इसे पर्याप्त समझती थीं।
14. 76 प्रतिशत कोई और काम करने के इच्छुक थे।
15. 61 प्रतिशत शहर में रोजगार मिलने पर कृषि छोड़ने को तैयार थे।
16. केवल 20 प्रतिशत युवा कृषि में रूचि रखते थे।

17. 60 प्रतिशत चाहते थे कि उनके बच्चे शहर में रहें।
18. 50 प्रतिशत किसान अपनी आर्थिक हालत से संतुष्ट थे। 40 प्रतिशत असंतुष्ट।
19. 40 प्रतिशत यह समझते थे कि पिछले पांच सालों में उनके हालत बेहतर हुए हैं। 37 प्रतिशत ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि 42 प्रतिशत अपने भविष्य को लेकर आशवादी हैं।
20. 58 प्रतिशत ने अपनी समस्याओं के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार, दोनों को जिम्मेदार बताया।
21. 47 प्रतिशत मानते थे देश के किसानों की हालत अच्छी नहीं थी।

राजनैतिक भागीदारी

1. केवल 10 प्रतिशत किसी कृषक संघ से सदस्य थे।
2. 67 प्रतिशत यह मानते थे कि प्रदर्शन, हड़ताल में भाग लेना सही है। हालांकि पिछले 5 सालों में केवल 18 प्रतिशत ने किसी हड़ताल या प्रदर्शन में भाग लिया था।
3. अधिकतर यह कहते थे कि भ्रष्टाचार से ज्यादा जरूरी मुद्दा उनके लिए बढ़ती कीमतें हैं। इसके बाद बेरोजगारी और सिंचाई। उनके वोट इन मुद्दों के अनुसार होंगे।